

प्रतिवादी- कल्याण/ भीमलिंग अचिण्ठरी मध्य कोट के पास
होने के साथ पत्रावली को ~~प्रतिवादी~~ प्रतिवादी कल्याण
दिनांक 3/12/18 को प्रेषित है।

31/12/18 पत्रावली प्रेषित हुई। वादी वकील अरुणप्रिया/ भीमलिंग
अचिण्ठरी मध्यकाश पर होने के साथ पत्रावली को
प्रतिवादी से 01 व 02 मध्यकाश दिनांक 07/01/19 को प्रेषित है।

07/01/19 पत्रावली प्रेषित हुई। वादी वकील अरुणप्रिया/ कल-कल
भावाले ल्यावारे रहे। वादी वकील व वादी खर्च करी
अप्रिया नहीं करा। तथा वादी अर्मा लोने के साथ
की वापीय करकोठ के खर्च नहीं दिखाए और ना ही
समस्त नगकण प्रेषित किया। जो अधिसूचना 2/2019
के विवरण पर यह है। सिविल कोर्ट के अधिसूचना 5
CPL का उल्लंघन है और अर्मा नगकण के समझ
में यह वाद पर चलते प्रेषित नहीं है। अधिसूचना 5
CPL के तथा प्रत्यक्ष अचिण्ठरी किया जाता है।
पत्रावली संभव शुभ्रा एकाद 4/1/19 को प्रेषित है।
दस्तावेज है।

उपरोक्त अधिकार
उत्तरगढ़ : वीकानेर